मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- बयानवीर कृष्णपाल का मंझावली पुल का झांसा 3
- जेएनयू और देशद्रोह का मुद्दा
- जेएनयू बनाम जनेऊ 4
- दिल्ली पुलिस का गुजरात मॉडल
- प्रभु ने बेचे सपने.... 5
- जेएनयू देशद्रोहियों का नहीं टैलेंट का खजाना है-पूर्व कुलपति सोपोरी 8

वर्ष 29 अंक 8 फरीदाबाद, मंगलवार 1-15 मार्च 2016 फोन : - 9999595632 2 ₹

आरक्षण के बहाने निकला आक्रोश

शिक्षा, चिकित्सा से वंचित और महंगाई व बेरोज़गारी की शिकार जनता ने जाट आरक्षण के बहाने बरसों से पनप रहे अपने आक्रोश को दिल खोल कर सड़कों पर निकाला। सरकारी स्कूलों-कॉलेजों से शिक्षा व अस्पतालों से चिकित्सा सेवायें लगभग समाप्त प्रायः हैं। रोजगार के स्रोत सूख गये हैं। खेती घाटे का सौदा बन चुकी है। कभी यूरिया नहीं मिलता तो कभी बिजली-पानी। जैसे-तैसे किसान फ़सल तैयार करता है तो भाव नहीं मिलता। मरने के सिवाय कोई रास्ता बचता है तो अपराध जगत की ओर जाने वाला। ऐसे में आरक्षण नासूर भी हैं और नश्तर भी।

मज़दूर मोर्चा चंडीगढ ब्यूरो

सीमित मात्रा में उपलब्ध पेशेवर शिक्षण संस्थानों व नौकरियों में आरक्षण एक को दूसरे से लड़ाने का काम सत्ता राजनीति कर रही है। रोटी एक है, उसके टुकड़ों को आरक्षित करके कुछों को सन्तुष्ट करने का छलावा किया जाता है तो वंचित भी बाकी के टुकड़े में से अपना हिस्सा आरक्षित चाहते हैं। पेट आरक्षण वाले का भी नहीं भर रहा फ़िर भी रोटियों की संख्या बढाने की बजाय भूख से भूख की लड़ाई की तर्ज़ पर आरक्षण की जूत पजार है।

यशपाल सिंघल

सोते शासन की हिफाजत में मुस्तैद पुलिस-प्रशासन

शत्रुजीत कपूर

आरक्षरण उपद्रव में क्या गलत हुआ, जानने की कुंजी इस रहस्य में छुपी है कि उस दौरान प्रदेश का 50000 पुलिस बल कहां गायब रहा ?

मौजूदा जाट आरक्षण की सिफ़ारिश सर्वप्रथम 1991में देवीलाल ने गुरनाम कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर की थी जिसे उनके बाद मुख्यमंत्री बने भजन लाल ने निरस्त कर दिया था। तभी से जाट समुदाय के मन में आरक्षण की आग सुलग रही थी। वर्ष 2010 में यह वर्षो से सुलगती आग फ़िर धधकी। कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने उसे बुझाने का पूरा प्रयास अपनी बाजीगरी से किया, उस दौरान सड़कें व रेल ट्रैक जाम हुए। छोटी-मोटी आगजनी के साथ हिसार ज़िले के मायड़ गांव में एक लड़के की कुर्बानी के बाद, यानी जल्दी ही, सरकार को समझ आ गयी। बिना और ज़्यादा नुकसान कराये हुड्डा सरकार ने मांग मान ली और जाटों को भी ओबीसी श्रेणी में शामिल कर लिया। लेकिन सम्बन्धित अधिसूचना, लोकसभा चुनावों (मई 2014)की अधिसूचना जारी होने से मात्र एक दिन पूर्व की गयी।

प्रक्रिया सम्बन्धी खामियों के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय बाद उस अधिसूचना को ही रद्द कर दिया। इस बीच जो लोग कॉलेजों में दाखिले व नौकरियों में आरक्षण का लाभ ले चुके थे, उनसे वह लाभ छीन कर उन्हें पुनः वंचित कर दिया गया। भाजपा ने इसका लाभ उठाते हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान वायदा किया कि उनकी सरकार बनने पर वह जाटों को फ़िर से आरक्षण दिलायेगी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सभी वायदों की तरह इस वायदे को भी भाजपा ने चुनावी जुमला बना दिया। जाटों ने जब आन्दोलन की बात छेड़ी तो भाजपा ने अपने कुरूक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी को बतौर ओबीसी भोंपू खड़ा कर दिया। करीब 6 माह तक सैनी से बहुत ही ज़हरीले एवं भड़कीले भाषण दिलवाये गये।

यह माहौल बनाया गया कि जाटों को आरक्षण देने का मतलब है सैनी व अन्य ओबीसी बिरादरी का हक मारना। भाजपा नेतृत्व को विश्वास था कि सैनी की भाषणबाज़ी से वह जाट आन्दोलन को थाम पायेगी। लेकिन जब आन्दोलन की आग में हरियाणा जलने लगा तो भाजपा ने अपना पैंतरा बदलते हुए सैनी को कारण बताओ नोटिस जारी करके अपने आप को पाक-साफ़ साबित करना चाहा। पर तब तक पूरा हरियाणा इस दावानल में झुलस चुका था।

हरियाणा ने इतना असहाय शासन-प्रशासन कभी नहीं देखा होगा। फ़ौज तक बुला ली और तब भी भय और आतंक के साये में भी हरियाणवी लुटने-पिटने को दसियों दिन तक मजबूर रहा। खट्टर सरकार तो भगवान भरोसे रही और उनके आका प्रधानमंत्री मोदी घूम-घूम कर एनजीओ षड़यन्त्र की गुहार लगाते रहे। विदेशी मुहावरा है कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। एक देशी मुहावरा भी है-नाच न आये आंगन टेढा। यहां तक कि जिस प्रशासन को शल्य चिकित्सा की जरूरत है, उसे सिर दर्द की गोलियां देकर काम चलाया जा रहा है। प्रदेश में 'सबका साथ सबका विकास' के नारों का क्या होगा? वैसे भी ये नारे दिखावा मात्र ही थे। इसी मार्च में खट्टर ने निवेश के नाम पर गुड़गांव में ग्लोबल समिट आयोजित की हुई थी। अब के हालात में भला काहे की समिट और काहे का निवेश? रोहतक, सोनीपत, झज्जर वगैरह से तो तमाम निवेशित इकाइयां भी पलायन की तैयारी में हैं। इसे रोक पाना टेढी खीर सिद्ध होगा।

यह ठीक है कि प्रशासनिक व्यवस्था में इस कदर शून्यता अकेले खट्टर शासन की देन नहीं है। यह फ़िसलाव हुड्डा से भी पहले चौटालों के जमाने से ही तेज़ी पकड़ गया था। तो भी खट्टर सरकार को अपनी बुनियादी आत्मघाती नीतियों का खामियाज़ा भुगतना पड़ा। होना तो यह चाहिये था कि सरकार आरक्षण का रास्ता निकालती और गुंडई का कठोरता से दमन करती। पर हुआ यह कि आरक्षण के मुद्दे को बंद गली में धकेल दिया गया और गुंडों को खुल कर खेलने दिया गया।

सरकार केवल हिंसा की भाषा समझती है

सरकार चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की, आन्दोलन चाहे हरियाणा का हो या राजस्थान या तेलंगाना का, व्यापक हिंसा के बगैर सरकार को बात कभी समझ आती ही नहीं। यदि किसी की कोई मांग जायज है एवं मानने लायक होती है तो उसे सरकार स्वत: बिना मांगे ही क्यों नहीं पूरा कर देती? और यदि कोई मांग ग़लत एवं न मानने वाली होती है तो वह लोग़ों की कुर्बानी, व्यापक आगजनी, लाखों करोड़ का सरकारी व गैर सरकारी नुकसान कराने के बाद जायज अथवा मानने लायक क्योंकर हो जाती है?

आज़ाद भारत के 69 वर्ष के इतिहास ने देशवासियों को यह समझने के लिये विवश कर दिया है कि जब तक आन्दोलन और वह भी हिंसक नहीं होगा, उनकी कोई बात शासन-प्रशासन सुनने वाले नहीं। सरकार की इसी नीति के चलते लाखों-करोड़ों लोग़ों को किसी न किसी रूप में इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ता है। हरियाणा के जाट आरक्षण आन्दोलन के चलते, राज्य से गुजरने वाले तीन राष्ट्रीय राजमार्ग व तीन मुख्य रेलमार्ग पूरी तरह से ठप हो गये, वह भी एक-आध दिन के लिये नहीं, सप्ताह भर के लिये। दूसरे राज्यों को जोड़ने वाले इन मुख्य मार्गों के अलावा राज्य के भीतरी तमाम मार्ग भी ठप कर दिये गये। आवागमन के इस तरह बाधित होने की वजह से जहां-तहां फ़ंसे यात्रियों, स्कूली बच्चों, अस्पताल जाने वाले मरीज़ों आदि के साथ क्या बीतती है, इसे केवल वही जान पाते हैं जो भुक्तभोगी हैं।

इसके लिये आन्दोलनकारियों को दोषी ठहरा कर सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। आन्दोलनकारियों का तो काम ही आन्दोलन करना होता है और वह भी उस हद तक कि सरकार झुक जाये और उनकी मांगे मान ले। जबकि सरकार का दायित्व बल्कि एकमात्र दायित्व ही जनता के जान-माल की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को बनाये रखना है। जो सरकार अपने इस मूलभूत दायित्व का भी वहन नहीं कर सकती उसे सरकार कहलाने का कोई हक नहीं। सरकार में बैठे ऐसे लोग़ों में यदि थोड़ी बहुत शर्म हया हो तो उन्हें तुरन्त त्यागपत्र दे देना चाहिये। लेकिन त्यागपत्र देने की अपेक्षा एक-दूसरे पर दोषारोपन करके अपने आप को बचाने के लिये किसी छोटे-बड़े अधिकारी को बलि का बकरा बना कर सत्ता से चिपके रहने की मुहिम चल रही है।

सीआईडी चीफ़ कपूर, खट्टर के विश्वस्त पर काम लायक नहीं

जाट आरक्षण के दौरान हुई व्यापक हिंसा की गाज रोहतक के आईजी श्रीकांत जाधव, डीएसपी अमित भाटिया व अमित दहिया पर तो गिर गयी परन्तु पूरे हरियाणा की ज़िम्मेदारी संभालने वाले डीजीपी यशपाल सिंघल व सीआईडी चीफ़ शत्रुजीत कपूर को किसी ने नहीं पूछा कि वे किस मर्ज़ की दवा हैं और वे इस दौरान कहां क्या कर रहे थे? और इनसे भी ऊपर खुद मुख्यमंत्री खट्टर साहब, जो गृहमंत्री भी हैं, कौनसी गौशाला में सेवारत थे?

सीआईडी चीफ़ किसी भी मुख्यमंत्री की आंख व कान का काम करता है बशर्ते कि वह इस लायक हो। हज़ारों पुलिस कर्मियों का स्टाफ़, संचार का व्यापक नेटवर्क और सैंकड़ों गाड़ियों के काफ़िले पर करोड़ों रुपया सीआईडी के नाम पर सरकार इसलिये खर्च करती है कि राज्य भर में होने वाली तमाम हलचलों पर नज़र रखी जाये, लोग़ों की सोच व उनकी योजनाओं की अग्रिम जानकारी से सरकार को न केवल अवगत कराये बल्कि उनके अनुरूप कार्यवाही करने की रूपरेखा भी तैयार करके सरकार को दे। इसीलिये कोई भी मुख्यमंत्री सत्तारूढ होते ही सर्वप्रथम सबसे काबिल एवं विश्वस्त पुलिस अफ़सर को अपना सीआईडी चीफ़ नियुक्त करता आया है।

जाति-बिरादरी के नाते कपूर खट्टर के प्रति वफ़ादार एवं उनका विश्वस्त तो हो सकता है, परन्तु काबिलियत उनकी आज तक कहीं नज़र नहीं आई। अपने ही मन्त्री अनिल विज की जासूसी की बदनामी से सीआईडी विभाग उभरा भी नहीं था कि गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर विर्क व ज्वांयट कमिश्नर भारती अरोड़ा के विवाद ने सरकार की खूब किरकिरी कराई। अब हरियाणा में गत 6 माह से जाट आरक्षण की जो आग सुलग रही थी वह कपूर को दिखी नहीं या वे इसका समय रहते आंकलन करने के काबिल नहीं सिद्ध हुए। यदि कपूर समय रहते इस भयंकर स्थिति का पूर्वानुमान लगा कर अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देते तो इतना सब न हुआ होता। और यदि उन्होंने पूर्वानुमान लगा कर कोई रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी तो वे चुप क्यों बैठे हैं, क्यों नहीं कोताही करने वाले सम्बन्धित लोग़ों को उज़ागर करते?

हां कपूर साहब में काबिलियत तो है, झूठे मुकदमें बनाने की व अपने कृपा पात्रों को मलाईदार तैनातियां दिलाने की। सीआईडी चीफ होने के नाते पुलिस महकमे में किसको कहां लगाना है और किसको कहां से हटाना है, इसका सारा अधिकार प्राय: सीआईडी चीफ के पास ही रहता है। अपने इस अधिकार का लाभ उठाकर कपूर साहब अपने कृपा पात्रों पर सदैव मेहरबान रहते हैं।